



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – 2326 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक-गोपेश्वर 23/11/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :-

माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया-सियासैण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग एवं 30 मी. स्पान मोटर लौह सेतु निर्माण का संरेखण हेतु 1.472 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No- FP/UK/ROAD/44536/2020)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/61/2021/एफ०सी०/931 दि. 29.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य FP/UK/ROAD/44536/2020 के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नप्रकार प्रेषित है :-

क्रम सं०	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	In the proceeding of the Sub-Divisional Level Committee (SDLC) & Village Level Committee (VLC) meeting the date is still not mentioned. State Govt. may submit/upload the SDLC and VLC meeting proceeding with date. However, the State Govt. may submit thr FRA related information/ documents prior to the issuance of the Stage-II approval.	Date mentioned in Sub Divisional Level Committee & Village Level Committee certificate. Also attached in Para K (i) Part-I & additional Information Sl. No.-
2	It is seen from the earlier muck disposal plan that out of toal 29400 cum muck 8462 will be used and 20937 cum required to be disposed off in the muck disposal sires but muck disposal pan for only 2520 cum muck is submitted. Now, uploaded new muck disposal plan wherein submitted that out of 29400 cum muck, 26883 cum muck will be used. It appear that no study on ground is done in this regard. Balance is only 2520 cum, in 2.5 Km length which appears to be not calucated properly. State govt may clarify the discrepancy in the data provided in muck disposal plan and submit the correct muck disposal plan after calculating devris based on scientific study and duly approved by DFO.	स्थल के निरोक्षणोपरांत पाया गया कि 2.50 किमी. लंबाई में मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मक का उपयोग लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप एच.पी. बैण्डों एवं आवश्यकतानुसार मार्ग पर अन्धे मोड़ों की चौड़ाई बढ़ाने एवं पासिंग प्लेसों में भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अवशेष मक को निर्धारित दो डम्पिंग जनों में भी निस्तारित किया जायेगा। इस प्रकार मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे का पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा एवं कोई भी मक अवशेष नहीं रहेगा। इस आशय की गणनाशीट संलग्न की जा रही है, जिसको कि सम्बन्धित डी.एफ.ओ. द्वारा भी सत्यापित किया गया है। जिसे के कर्मांक पर अपलोड किया गया है।
3	DFO in his Site inspection Report has not given any comment on point 05 regarding the violation of FC Act. State Govt. may submit the SIR of DFO with his clear comments on violation.	DFO authenticated Site Inspection Report against violation submitted with his comments in the additional information Sl. No.-

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – सूचना 4-4 प्रतियों में मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर